घर बैठे प्राप्त करें 1 रुपए शुल्क के साथ एक सेकंड में भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र निगम दफ्तर आने की आवश्यकता नहीं, भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त करने अनावश्यक भटकने से मिला छुटकारा

भिलाई नगर/ 5000 वर्ग फुट तक के आवासीय प्लाट के लिए भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निगम दफ्तर आने की आवश्यकता नहीं है घर बैठे ही ऑनलाइन भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है और वह भी महज 1 सेकंड में 1 रुपए शुल्क के साथ। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की यह योजना बेहद लाभकारी है, जिसका लाभ हितग्राही ले पा रहे है। ऐसे हितग्राही जो भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाह रहे हैं वह सीधे निगम के पंजीकृत वास्तुविद के माध्यम से समस्त आवश्यक दस्तावेज के साथ www.bpms.sudacg.in में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेज की प्रविष्टि भी ऑनलाइन करनी होगी। भवन मानचित्र का परीक्षण मानव हस्तक्षेप रहित सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों पर विभाग के द्वारा आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण कर समस्त दस्तावेज सही पाए जाने पर 14 दिवस के भीतर आवासीय भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु नियम अनुसार राशि की गणना कर ऑनलाइन डिमांड नोट आवेदक को जारी किया जाएगा जिसे वह दिए गए वेबसाइट पर सिटीजन पे के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर तुरंत रसीद प्राप्त कर सकते हैं। महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अधिक से अधिक लोगो को इस योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए है। 3 जनवरी 2022 से योजना की शुरुवात हुई है। भवन अनुज्ञा अधिकारी हिमांशु देशमुख ने बताया कि अब तक 809 पात्र सभी आवेदकों को भवन अनुज्ञा प्रणाली के माध्यम से भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। प्रत्यक्ष भवन अनुज्ञा प्रणाली के प्रारंभ होने से निगम दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर काटने एवं भटकने से छुटकारा मिल रहा है। वहीं जहां भवन अनुज्ञा के लिए आवेदन करने के बाद पहले उप अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता, जोन आयुक्त एवं भवन अनुज्ञा अधिकारी से होकर प्रकिया गुजरती थी , वह प्रक्रिया अब समाप्त हो गई है और सीधे भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र ऑनलाइन के माध्यम से मिल रहा है। इस प्रणाली की खास बात यह है कि इस योजना से पारदर्शिता भी बनी रहेगी, वहीं गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह और अधिक लाभदायक साबित होगा , नौकरी पेशा वर्गों के लिए भी यह योजना वरदान है उन्हें अवकाश लेकर दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी।